

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2023
 FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0010 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
 31/05/2023 18:10 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
 Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 31/05/2023 Time (समय): 16:30 hrs
 (c) General Diary Reference (रोजनाम्या संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 014 Date and Time (दिनांक और समय): 31/05/2023 17:49 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): Beat No. (बीट सं.):
 (b) Address (पता): ACB ROHAK,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): राजेश पूनिया
 (b) Father's Name (पिताका नाम): गुलाब सिंह
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1973 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
 (e) UID No. (यूआईडी सं.):
 (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
 Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	राजेन्द्र नगर गोहाना रोड रोहतक, ROHTAK, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	14/29, शिव विहार कालोनी, ROHTAK, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9813064366

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	जितेन्द्र नेहरा A.T.P			1. नगर निगम रोहतक, ROHTAK, HARYANA, INDIA
2	शर्मा आर्टिस्ट			1. आफिस छोदूराम चौक रोहतक, ROHTAK, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,
SHO साहब थाना ACB रोहतक
श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं राजेश पुनिया S/O गुलाब सिंह निवासी म0 न0 14/29 शिव विहार कालोनी हाल

राजेन्द्र नगर मोहाना रोड रोहतक का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी का नाम कविता देवी है। मेरे पास 3 लड़के राहुल, रितेश, रितिक हैं। मैं खेती बाड़ी व प्रोपर्टी डीलर का काम करता हूँ।

मैंने 30.12.2021 को मौजा बोहर में नये बाईपास पर बाहर की तरफ पाम सोसायटी के सामने 9 एकड़ जमीन एगरीमेंट करके खरीदी थी और 4 महीने बाद सुचा सिंह एन्कलेव के नाम से बिना सिपल्यू के कालोनी काटी थी। जिस संबंध में निगम रोहतक द्वारा मेरे खिलाफ मुकदमा नं. 72 दिनांक 1-3-2023 धारा 350A हरियाणा मुन्सिपल कारपोरेशन एक्ट 1994 थाना अर्बन एस्टेट रोहतक दर्ज करवा दिया था। जिसमें मैं गिरफ्तार होकर बेल पर हूँ।

कुछ महीने पहले जितेन्द्र नेहरा A.T.P नगर निगम रोहतक से मैं निगम रोहतक की लैब में मिला था तब A.T.P जितेन्द्र नेहरा ने मेरी कालोनी में तोड़ फोड़ करने का भय दिखाकर मेरे से 40 लाख रुपये रिश्वत राशि की मांग की थी। इतनी बड़ी रकम देने में मैंने अपनी असमर्थता जता दी थी। मेरी कालोनी में अवैध निर्माण के संबंध में नगर निगम रोहतक से नोटिस भी आये थे। दिनांक 6-5-2023 को A.T.P जितेन्द्र नेहरा हमारी कालोनी की साइट पर अपनी टीम के साथ आया और मकानों व हमारे आफिस पर धारा 350 के तहत निर्माण तोड़ने का नोटिस चिपकाकर गया था और दबाव बनाकर मेरे लड़के रितेश को कहा की तुम्हारे पिता राजेश पूनिया मेरे निगम कार्यालय में मेरे से मिल लेगे। अगले हफ्ते (सप्ताह) मैं A.T.P जितेन्द्र नेहरा से उनके कार्यालय में मिला और मैंने उनको बतलाया की हमने अपनी सुचा सिंह एन्कलेव को पास करवाने की फाईल पहले ही नगर निगम रोहतक में लगाई हुई है। जो अभी पैडिंग है। आप हमें परेशान न करें परन्तु A.T.P जितेन्द्र नेहरा ने कहा कि कालोनी बसाने के लिए आपको रुपये देने पड़ेंगे और मुझे पैसे की बात करने के लिए छोटाराम चौक पर शर्मा आर्टिटेक्ट के पास जाने के लिए कहा। उसके बाद मैं A.T.P जितेन्द्र नेहरा के कहे अनुसार शर्मा आर्टिटेक्ट से उसके छोटाराम चौक पर ऑफिस में जाकर मिला दिनांक 25.5.2023 को भी मैं शर्मा आर्टिटेक्ट से उसके ऑफिस पर मिला शर्मा आर्टिटेक्ट ने पहले मेरे से 3 लाख रु प्रति एकड़ के हिसाब से रिश्वत के 27 लाख रु देने को कहा बाद में शर्मा ने कहा की मेरी A.T.P जितेन्द्र नेहरा से बाद हो रखी है आपको कम करने के बाद 2.5 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से 9 एकड़ के लगभग 22 लाख रु रिश्वत के देने पड़ेंगे मेने उससे विनती करके रिश्वत की रकम 15 लाख व बाद में 18 लाख देने की बाद कही परन्तु शर्मा आर्टिटेक्ट मेरी बाद से सहमत नहीं हुआ।

फिर दिनांक 26.5.2023 को निगम रोहतक की लैब में जाकर मैं A.T.P जितेन्द्र नेहरा से मिला और रिश्वत के रुपये कम करके 15 लाख एक मुसत करने की विनती की जो हमारी बाद 20 लाख रुपये में फाईनल हो गई थी A.T.P जितेन्द्र नेहरा ने रिश्वत की बात कही बाहर बताने का मेरे उपर शक किया जो मेने उनको यकीन दिलाया की मेने रिश्वत की बात शर्मा आर्टिटेक्ट के अलावा किसी को नहीं बतलाई है।

दिनांक 29.5.2023 को फिर मैं शर्मा आर्टिटेक्ट से उसके ऑफिस में मिला और 20 लाख रुपये रिश्वत की फाईनल बात डिटेल में हुई शर्मा आर्टिटेक्ट ने मेरे को आज रिश्वत राशि सौंपने की तारीख दी हुई है मेरे से शर्मा आर्टिटेक्ट व A.T.P जितेन्द्र नेहरा आपस में मिली भगत करके रिश्वत की मांग कर रहे हैं। मैंने शर्मा आर्टिटेक्ट व A.T.P जितेन्द्र नेहरा की बात चीत की रिकार्डिंग भी कर ली है। जिसमें वो रिश्वत के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं रिकार्डिंग की पैन ड्राईव मैं डालकर आपको बाद में पेश कर दूँगा इनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाये मैंने ACB कार्यालय में आकर आपनी लिखित शिकायत पेश कर दी है।

हस्ता हिन्दी

राजेश पूनिया

9813064366

दिनांक 31.05.2023

कार्यवाही पुलिस:- आज मन उप पुलिस अधीक्षक ACB Rohtak हाजीर कार्यालय हूँ की शिकायतकर्ता राजेश पूनिया S/O गुलाब सिंह निवासी M0न0 14/29 शिव विहार कालोनी हाल राजेन्द्र नगर रोहतक ने कार्यालय ACB Rohtak में हाजीर आकर एक शिकायत लिखित पेश की जो शिकायत के अधिसूचना से धारा 7,7A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 120 B भा0द0स0 का अपराध घटित होना पाया जाने पर मुकदमा दर्ज करवाने हेतु तहरीर लिखकर हवाले मोहरर थाना ACB रोहतक की गई हालात अफसरानबाला को बतलाये गए। एक अलग से लिखित दरखास्त रेंड के लिए स्वतन्त्र राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करवाने हेतु लिखकर हवाले प्रवाचक पुलिस अधीक्षक ACB रोहतक की गई। बाद मुकदमा दर्ज स्पेशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट को भिजवाई जावे। मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा बाद होने नियुक्त स्वतंत्र

राजपत्रित अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

अज कार्यालय ACB रोहतक

हस्ता अंग्रेजी

SUMIT

उप पुलिस अधीक्षक

Anti Corruption Bureau

Rohtak

Dt. 31.05.2023

At. 4.30 PM

अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर प्राप्त होने पर मु0 न0 10 दिनांक 31.05.2023 U/S 7 P.C. Act-1988 थाना एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्प्यूटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला को बजरीया स्पेशल मैसेन्जर/मेल दवारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब रोहतक को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बदस्त सिपाही अनील कुमार न0 571/झज्जर की जाकर खाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से महिला निरीक्षक प्रमीला देवी की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):
/ or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): SUMIT Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.): PINSP to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम):

Rank (पद):

14.

Signature / Thumb impression
of the complainant / Informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

No. (सं.):

189/100T

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7
संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known /
seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात
/ देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1978				Is pox pitted: Yes
2	Male	1978				Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9		11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the
suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक
जानकारी देता है)